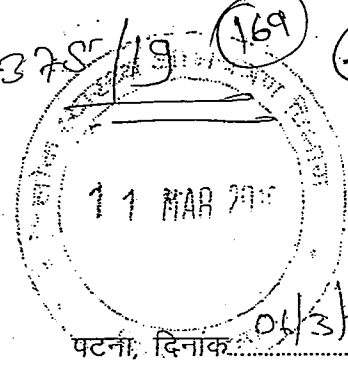


154375/19-169
125/11
44/19

JS(MC)

बिहार सरकार
पथ निर्माण विभाग
अधिसूचना



अधिसं०-प्र०2/स्था०-नियुक्ति-01-01/2018

30401

पटना, दिनांक

04/3/19

भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये बिहार के राज्यपाल एतद् द्वारा बिहार अभियंत्रण सेवा वर्ग-II में भर्ती हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :-

भाग-I

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और आरम्भ :- यह नियमावली "बिहार अभियंत्रण सेवा वर्ग-II भर्ती नियमावली, 2019" कही जा सकेगी।
2. इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा।
3. यह तुरत प्रवृत्त होगा।
4. परिभाषाएँ :- इस नियमावली में जबतक कोई बात विषय या संदर्भ में विरुद्ध न हो :-
(क) "सेवा" से अभिप्रेत है बिहार अभियंत्रण सेवा वर्ग-II,
(ख) "आयोग" से अभिप्रेत है बिहार लोक सेवा आयोग,
(ग) "अनुसूचित जाति" से अभिप्रेत है संविधान अनुसूचित जाति आदेश 1950 के भाग-II में प्रगणित जातियाँ एवं, समय-समय पर, सरकार द्वारा घोषित अनुसूचित जाति,
(घ) "अनुसूचित जनजाति" से अभिप्रेत है संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश 1950 में प्रगणित जनजातियाँ एवं, समय-समय पर, सरकार द्वारा घोषित जनजातियाँ।

5. इस सेवा में भर्ती के लिए निम्नांकित पद्धति होगी :-

(i) भाग-II में दी गई नियमावली के अनुसार सीधी भर्ती द्वारा।

(ii) सरकारी सेवा में स्थाई या अस्थायी रूप में पूर्व से नियुक्त पदाधिकारियों की प्रोन्नति या स्थानान्तरण द्वारा।

6. इस सेवा के रिक्त पदों में से प्रत्येक वर्ष क्रमशः सीधी भर्ती और प्रोन्नति द्वारा भरी जाने वाली संख्या का निर्णय राज्यपाल करेंगे।

भाग-II

सीधी नियुक्ति।

7. राज्यपाल के विशेष आदेश को छोड़कर, इस सेवा में नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी का भारतीय नागरिक होना आवश्यक होगा।

8. अभ्यर्थी -

(1) राज्यपाल द्वारा अधिसूचित आयु का होगा,

(2) अच्छा आचरण का होगा,

(3) सामान्यतः स्वस्थ होगा और विकृत चित का न होगा,

(4) (i) किसी भी भारतीय विश्वविद्यालय/संस्थान (A.I.C.T.E. Approved) से सिविल अभियंत्रण/यांत्रिक अभियंत्रण/विद्युत अभियंत्रण में डिग्रीधारी होगा अथवा

(ii) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त सम विश्वविद्यालयों (डिम्ड-विश्वविद्यालय) से मात्र नियमित रूप से संचालित तकनीकी पाठ्यक्रमों में प्राप्त उपाधि मान्य होगा न कि दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से संचालित तकनीकी पाठ्यक्रमों में प्राप्त उपाधि।

(iii) अभियंत्रण संस्थान का सह-सदस्य हो अथवा अभियंत्रताओं के संस्थान भारत से प्रशाखा-"अ" और "आ" में उत्तीर्ण हुआ होगा अथवा अभियंत्रताओं के संस्थान भारत द्वारा प्रस्वीकृत संस्थान से प्रशाखा-"अ" और "आ" के समतुल्य परीक्षा में उत्तीर्ण होकर अन्य उपाधि प्राप्त की होगी।

टिप्पणी —(1) जो व्यक्ति अस्थायी या स्थानापन्न रूप में या परीक्ष्यमान रूप में सरकारी सेवा में हो, वह इस नियम के उपबंधों के अधीन सीधी भर्ती के लिए आवेदन कर सकेगा।

(2) निम्नांकित को छोड़कर जो व्यक्ति सरकारी सेवा में संपुष्ट हो वह इस रूप में नहीं होगा :-

(क) अवर अभियंत्रण सेवा के सदस्य और

(ख) खंड-(4) में विनिर्दिष्ट योग्यता रखनेवाले अन्य सेवाओं के सदस्य प्रोन्नति द्वारा या स्थानान्तरण द्वारा इस नियमावली के भाग-III में निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार नियुक्ति के पात्र होंगे।

भाग- III

नियुक्ति की प्रक्रिया

(क) आयोग हर वर्ष यथोचित रूप में प्रतियोगिता परीक्षा के परीक्षाफल के आधार पर इस सेवा में सीधी भर्ती द्वारा भरी जानेवाली रिक्तियाँ घोषित करेगा और नियम-5 और 6 के अधीन नियुक्ति के लिए पात्र अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित करेगा।

परीक्षा इस नियमावली के साथ संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट पाठ्य-विवरण, जो राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से आयोग द्वारा समय-समय पर परिवर्तनीय होंगे, के अनुसार ली जायेगी :

परंतु आयोग किसी खास वर्ष की परीक्षाओं में प्रवेश के लिए योग्य अभ्यर्थियों की संख्या नियत कर सकेगा और यदि अभ्यर्थियों की संख्या नियत संख्या से अधिक हो तो आयोग अभ्यर्थियों का प्रारंभिक चयन कर सकेगा तथा प्रारंभिक जाँच परीक्षा के आधार पर लिखित परीक्षा में अभ्यर्थियों को प्रवेश दे सकेगा।

(ख) आवेदनों के साथ आवेदन-शुल्क के रूप में अधिसूचित राशि जो लौटाई नहीं जायेगी बिहार लोक सेवा आयोग के बजट-सह-लेखा पदाधिकारी को जी०पी०ओ०, पटना में भुगतये रेखांकित पोस्टल-आर्डर या कोषागार चालान संलग्न किया जायेगा। शुल्क बिहार सरकार के "051-लोक सेवा आयोग राज्य-राज्य लोक सेवा आयोग-परीक्षा शुल्क (प्राप्तियाँ)" शीर्ष के अधीन जमा लिया जायेगा।

(ग) अभ्यर्थी अपने आवेदन के साथ निम्नांकित कागजात की राजपत्रित पदाधिकारी द्वारा सम्यक रूप से अनुप्रमाणित सच्ची प्रतिलिपियाँ प्रस्तुत करेगा :-

(i) नियम-6 खंड (4) में निर्दिष्ट शैक्षिक अर्हताएँ धारण करने का साक्ष्य,

(ii) जिस महाविद्यालय/संस्थान में अंतिम पढ़ाई की वो, उसके प्रधान से चरित्र एवं आचरण प्रमाण-पत्र,

(iii) आयु प्रमाण-पत्र, जो साधारणतः मैट्रिक या उसके समतुल्य के प्रमाण-पत्र की सच्ची अनुप्रमाणित प्रति होगी।

10. (क) अभ्यर्थी परीक्षाओं में प्रवेश के लिए स्पष्ट लिखित आवेदन विहित प्रपत्र में सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग को आयोग द्वारा प्रति वर्ष इसके लिए अधिसूचित तिथि के अंतर्गत देगा।

विहित प्रपत्र सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग से प्राप्त किया जायेगा।

(ख) वैसे किसी अभ्यर्थी को परीक्षा में तबतक प्रवेश नहीं मिलेगा जबतक कि उसके पास आयोग से प्राप्त प्रवेश का प्रमाण-पत्र न हो।

(ग) इस नियमावली के उपबंधों के अधीन, परीक्षा में प्रवेश के लिए पात्रता या अपात्रता संबंधी आयोग का निर्णय अंतिम होगा।

11.

यदि कोई अभ्यर्थी निम्नांकित अनियमितताओं का दोषी पाया जाय :-

- (1) परीक्षा में प्रवेश पाने हेतु किन्हीं अनियमित या अनुसूचित साधनों का सहारा लेने, या
- (2) परीक्षा में किसी दूसरे अभ्यर्थी को छद्म व्यक्तिता करना अथवा किसी व्यक्ति द्वारा छद्म व्यक्तिता करवाना, या
- (3) गढ़े हुए कागजात या कागजातों, जो गड़बड़ किए गए हों, को प्रस्तुत करना, या
- (4) ऐसा विवरण देना जो गलत या झूठा हो या तथ्यात्मक सूचना छिपा लेना, या
- (5) सहायता प्राप्त करने के प्रयोजन अथवा किसी दूसरे अभ्यर्थी को सहायता दिलाने के उद्देश्य से किसी व्यक्ति से सम्पर्क करना, या
- (6) परीक्षा हॉल में कोई अन्य अनुचित साधन का प्रयोग करना अथवा बाद में किसी अनुचित साधन का पता चलना अथवा उसकी रिपोर्ट होना, या

(7) परीक्षा हॉल में उच्छ्रृंखल व्यवहार करना अथवा आयोग द्वारा जारी किसी अनुदेश का उल्लंघन करना, तो

(क). उसे आयोग द्वारा अथवा इस निमित्त आयोग द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा परीक्षा हॉल में निष्कासित किया जा सकेगा,

(ख). ऐसे मामले में आयोग उसकी उत्तर पुस्तिका को अविधिमान्य भी करार कर सकेगा अथवा उससे यथोचित अंक काट सकेगा,

(ग). अभ्यर्थी पर आपराधिक अभियोजन भी चलाया जा सकेगा।

(घ). अभ्यर्थी को स्थाई तौर पर अथवा विनिर्दिष्ट अवधि के लिए विवर्जित भी किया जा सकेगा

(i) आयोग द्वारा किसी परीक्षा में प्रवेश से और।

(ii) राज्य सरकार द्वारा सरकार के अधीन किसी नियोजन से।

12.

लिखित परीक्षा के किसी/सभी विषय/विषयों में अहर्ताक नियत करने का विवेकाधिकार आयोग को होगा:

परंतु नियुक्ति के लिये किसी अभ्यर्थी की उपयुक्तता नियत करने में लिखित परीक्षा के कुल प्राप्तांक पर विचार किया जायेगा न कि किसी विषय विशेष या विषयों के प्राप्तांक पर। परंतु यह भी कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम अहर्ताक में आयोग द्वारा छूट निर्धारित की जा सकेगी।

13.

लिखित परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर आयोग द्वारा योग्यता (मेरिट) एवं योग्यताक्रम में उनके आवेदन के साथ अभ्यर्थियों के नाम क्रमांकित किये जायेंगे। यह सूची राज्यपाल द्वारा यथा निदेशित तिथि तक उनके समक्ष उपस्थापित की जायेगी।

टिप्पणी - परीक्षा में सफलता नियुक्ति का अधिकार तबतक नहीं प्रदान करेगी जबतक की यथा आवश्यक जाँच-पड़ताल के बाद सरकार संतुष्ट न हो जाय कि अभ्यर्थी लोक सेवा में नियुक्ति के लिए सभी दृष्टियों में उपयुक्त है।

(ख) लिखित परीक्षा के लिए चयनित अभ्यर्थी निर्धारित समय और स्थान जिसकी सूचना उन्हें यथा समय दी जायेगी, पर अपने खर्च पर उपस्थित होगा।

14.

(क) नियम 11 के अधीन आयोग द्वारा उपस्थापित सूची में उल्लिखित अभ्यर्थियों में से अथवा जिनके संबंध में नियम 12 के अनुसार रिपोर्ट दी गयी हो उनमें से अभ्यर्थियों का अन्तिम चयन राज्यपाल द्वारा किया जायेगा।

5/11/15

(ख) आयोग परीक्षा का समेकित परीक्षाफल तैयार करेगा और परीक्षाफलों का संलग्न तथा नियम-II में निर्दिष्ट सूची राज्यपाल के समक्ष उपस्थापित हो जाने पर शीघ्र ही प्रत्येक अभ्यर्थी को उसके द्वारा लिखित परीक्षाओं में प्राप्त अंकों की प्रति दी जा सकेगी।

(ग) इस प्रकार चयनित प्रत्येक अभ्यर्थी को जाँच चिकित्सा पर्वद (मेडिकल बोर्ड) द्वारा की जायेगी। जो अभ्यर्थी बोर्ड को संतुष्ट नहीं कर पायेगा उसकी नियुक्ति नहीं की जायेगी।

अनुसूची-1

सिविल/यांत्रिक/विद्युत अभियंत्रण के लिए बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा संचालित होने वाली अभियंत्रण सेवा संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम।

यह सिविल अभियंत्रण, यांत्रिक अभियंत्रण एवं विद्युत अभियंत्रण के लिए पाठ्यक्रम है। राज्य सरकार के विभागों या राज्य सरकार द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग से परामर्श कर समय-समय पर यथा अधिसूचित अन्य संगठनों में स्नातक सिविल अभियंताओं/यांत्रिक अभियंताओं/और विद्युत अभियंताओं की सीधी भर्ती हेतु बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा अभियंत्रण सेवा संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा इस पाठ्यक्रम के आधार पर संचालित की जायेगी।

परीक्षा छः पत्रों की होगी, जिसमें चार पत्र अनिवार्य और दो पत्र ऐच्छिक होंगे। प्रथम 4 पत्र, यथा सामान्य अंग्रेजी, सामान्य हिन्दी, सामान्य अध्ययन और सामान्य अभियंत्रण विज्ञान वस्तुनिष्ठ (Objective) होंगे। दो ऐच्छिक पत्र वस्तुनिष्ठ रूप में होंगे जो सिविल, यांत्रिक तथा विद्युत अभियंत्रण के लिए अलग-अलग होंगे। सामान्य अंग्रेजी एवं सामान्य हिन्दी के पत्र मात्र Qualifying होंगे, अर्थात् अलग-अलग दोनों पत्रों में आयोग द्वारा निर्धारित न्यूनतम अंक प्राप्त होने पर ही अन्य पत्रों का मूल्यांकन किया जायेगा। सामान्य अंग्रेजी एवं सामान्य हिन्दी के पत्र में न्यूनतम प्राप्तांक नहीं प्राप्त होने पर अभ्यर्थीता पर विचार नहीं किया जायेगा।

I. लिखित परीक्षा के प्रत्येक पत्र के लिए विषय/पत्र/समय और कुल अंक निम्नांकित होंगे:-

(क) अनिवार्य पत्र

पत्र संख्या	विषय	वस्तुनिष्ठ	अवधि	कुल अंक	
1.	सामान्य अंग्रेजी	वस्तुनिष्ठ	एक घंटे	100	Qualifying
2.	सामान्य हिन्दी	वस्तुनिष्ठ	एक घंटे	100	
3.	सामान्य अध्ययन	वस्तुनिष्ठ	एक घंटे	100	
4.	सामान्य अभियंत्रण विज्ञान	वस्तुनिष्ठ	एक घंटे	100	

(ख) ऐच्छिक पत्र

5	सिविल अभियंत्रण	वस्तुनिष्ठ	एक घंटे	100
6	सिविल अभियंत्रण	वस्तुनिष्ठ	एक घंटे	100
अथवा				
5	यांत्रिक अभियंत्रण	वस्तुनिष्ठ	एक घंटे	100
6	यांत्रिक अभियंत्रण	वस्तुनिष्ठ	एक घंटे	100
अथवा				
5	विद्युत अभियंत्रण	वस्तुनिष्ठ	एक घंटे	100
6	विद्युत अभियंत्रण	वस्तुनिष्ठ	एक घंटे	100

कुल (3+4+5+6) = 400

II. स्तर और पाठ्यक्रम।

निम्नांकित पाठ्यक्रम के अन्तर्गत पत्रों का स्तर ऐसे होगा जो किसी भारतीय विश्व विद्यालय के अभियंत्रण स्नातक के लिये समीचीन हों।

(क). अनिवार्य पत्र

प्रथम पत्र	सामान्य अँग्रेजी	सामान्य अँग्रेजी और सामान्य हिन्दी के प्रश्न इस तरह के होंगे कि अभ्यर्थी की भाषा संबंधी प्रयोग की समझदारी की जाँच की जा सके।
द्वितीय पत्र	सामान्य हिन्दी	
तृतीय पत्र	सामान्य अध्ययन	सामान्य अध्ययन के पत्र में समसामयिक घटनाओं तथा दैनिक प्रेक्षण से संबंधित विषयों एवं अनुभवों और उनके वैज्ञानिक पहलुओं की जानकारी सम्मिलित होगी। इस पत्र में वैज्ञानिक, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक प्रश्न होंगे तथा उसमें ऐसे शोध एवं अभिनव परिवर्तनों, जो अभियंत्रण के विभिन्न विषयों में प्रौद्योगिक विषय के लिए महत्वपूर्ण हो, सहित अभियंत्रण विज्ञान के विकास पर जोर दिया जायेगा।
चतुर्थ पत्र		यह 100 अंकों का एक पत्र होगा। सामान्य अभियंत्रण विज्ञान के पत्र में अभियंत्रण यांत्रिकी का जानकारी समाहित होगी।
प्रणाली विज्ञान (मैथोडोलॉजी) सामान्य अभियंत्रण विज्ञान।		ठोस पदार्थों की यांत्रिकी (मेकेनिक्स) ऑफगैलि अभियंत्रण वस्तुएँ एवं निर्माण प्रणाली (मैथोडोलॉजी ऑफ कन्स्ट्रक्शन) अभियंत्रण अर्थव्यवस्था एवं प्रबंधन परिवहन संस्कृति (ट्रान्सपोर्ट फेनोमेना) ऊर्जा संपर्क (इनर्जी कन्वर्शन) पर्यावरण अभियंत्रण (इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग/सर्वेक्षण/सर्वे/विधुत कर्मशाला में यांत्रिक कर्मशाला मापन यंत्र, प्रारंभिक अभियंत्रण जो अभियंत्रण के विभिन्न विषयों के लिए सामान्य हों सभी शाखाओं के लिए (विस्तृत पाठ्यक्रम अनुसूची-2)।

(ख). ऐच्छिक पत्र

(i) सिविल अभियंत्रण		सिविल अभियंत्रण में दो अलग-अलग वस्तुनिष्ठ पत्र होंगे और हरेक का पूर्णांक 100 होगा।
पंचम पत्र सिविल अभियंत्रण		संरचना विश्लेषण (स्ट्रक्चर एनालिसिस), संरचना रूपांकन (स्ट्रक्चर डिजाइन) एवं मृदा यांत्रिकी (स्वायल के मेकेनिक्स) और नीव (फाउंडेशन) (विस्तृत पाठ्यक्रम अनुसूची-2)।
षष्ठम पत्र सिविल अभियंत्रण		जल विज्ञान एवं जल श्रोतों का खुला प्रणाल प्रवाह (हाइड्रोलॉजी एण्ड वाटर रिसोर्सज (ओपन चैनल फ्लो) हाइड्रोलिक संरचना का रूपांकन (हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर का डिजाइन) परिवहन अभियंत्रण (ट्रान्सपोर्ट इंजीनियरिंग) लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग (पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग) (विस्तृत पाठ्यक्रम अनुसूची-2)।
(ii) ऐच्छिक पत्र यांत्रिक अभियंत्रण		यांत्रिक अभियंत्रण में दो अलग-अलग वस्तुनिष्ठ पत्र होंगे और हरेक का पूर्णांक 100 होगा।
पंचम पत्र यांत्रिक अभियंत्रण		(थर्मो डायनेमिक्स)/उष्मा गतिकी आई०सी० इंजन, भाप बॉयलर तथा सभी प्रकार के भाप चालित उपकरण, गैस टरबाइन, कम्प्रेसर, पुनतापन एवं पुनउत्पादन, उद्मा अन्तरण, प्रशीतन एवं वातानुकूलन, तरल पदार्थों के गुण एवं वर्गीकरण आदि (विस्तृत पाठ्यक्रम अनुसूची-2)।
षष्ठम पत्र यांत्रिक अभियंत्रण		मशीनें के सिद्धान्त, मशीन की डिजाइन, सामग्री-क्षमता, इंजीनियरी सामग्री, उत्पादन इंजीनियरी, औद्योगिक इंजीनियरी, आदि (विस्तृत पाठ्यक्रम अनुसूची-2)।

अनुसूची-2

विस्तृत पाठ्यक्रम

Page 6 of 12

7. प्रारंभिक इंजीनियरी :- विद्युत परिपथ, परिपथ नियम और सुपरपोजिशन के सिद्धांत ध्वनी का सार्थक श्रेणीबद्ध और समानान्तर कनेक्शन, प्रतिरोध और कैपेसिटेंस, जंक्शन ट्रांजिस्टर, जैक्शन डायोड, समतुल्य परिपथ, कामन इमीटर विद्युत परिपथ, विद्युत धारा का चुम्बकीय प्रभाव, चुम्बकीय परिपथ, आदर्श ट्रांसफॉर्मर, परिपथ तत्व के रूप में ट्रांसफॉर्मर, विद्युत चुम्बकीय ऊर्जा का स्थानांतरण, डी०सी० मोटर और जेनरेटर का कार्य, ए०सी० मोटर और जेनरेटर का कार्य।
8. पर्यावरण इंजीनियरी - जल प्रदूषण और शुद्धिकरण, अप जल अभिक्रिया, वायु प्रदूषण और उसका नियंत्रण, पारिस्थिति की संतुलन।

पत्र-5 असैनिक अभियंत्रण।

1. संरचना-विश्लेषण स्ट्रक्चरल एनालिसिस
संरचना :- निर्धारण एवं स्थायीत्व, आन्तरिक एवं बाह्य बल, विशेष स्थितिक सुदृढ़क और अस्थैतिक धरण संरचना, कैची, फ्रेम और मेहराव, संरचना सिद्धांत सुदृढ़क और लचीलेपन की विधि, मैट्रिक्स विधि स्तंभों की प्रत्यास्थता स्थायित्व निर्धारित एवं अनिधारी संरचनाओं हेतु प्रभाव रेखाओं का विश्लेषण तथा धरण और सिल्ली का सुदृढ़ विश्लेषण।
2. संरचना रूपांकन (स्ट्रक्चरल डिजाइन)
(क) आर०सी०सी० धरण, सिल्ली, स्तंभ, अपरूपण और विकर्ण तनसवा, कंक्रीट तकनीक :- चरमभार और सीमान्त भार डिजाइन, भवन ढांचा रूपांकन में लम्बवत् और सिस्मिक बल का अध्ययन।
(ख) स्टील संरचना - तनाव, सम्पीड़न और आनमनन (फूलेक्चरल) अवयव, छत कैची प्लेट गरडर, ब्रकेट कनेक्शन।
(ग) पूर्व-प्रतिबलित कंक्रीट संरचना व इसके अवयव।
3. मृदायांत्रिकी एवं नीव इंजीनियरींग - भूगर्भीय बल और उसका निर्धारण चट्टानों की बनावट एवं वर्गीकरण, मिट्टी की प्रकृति एवं बनावट, गुण और व्यवहार, निकन और संघनन, कॉम्पैक्सेशन, अपरूपण बल, ढालों का स्थायीत्व, मृदा प्रतिबल, वहन क्षमता, कूटिंग, पृथ्वी का दबाव, प्रतिधारण, दियार, सीट पाइलस। पाइल सहित उथली और गहरी नीव टैफूट और कूप नीव, मशीन नीव प्रसार मिट्टी का टूटीकरण।

पत्र-6 सिविल अभियंत्रण

1. जल विज्ञान और जल संसाधन - सामान्य द्रवीय प्रणाली, अपवाह (रन आफ) आकलन, जल-आलेख (हाइड्रोग्राम) का प्रयोग, प्रयोगाश्रित सूत्र, संभावित जलीय विश्लेषण, सतही जल और भूमिगत जल का प्रबंधन, सिंचाई इंजीनियरी का सिद्धांत, फसलों के लिए जल की आवश्यकता-सामान्य।
सिंचाई कार्यों का वर्णन, बाढ़-करण, क्षति और नियंत्रण, नदी का व्यवहार जल निकास, सतही और भूमिगतजल निकास, चैनल का रूपांकन, जल शक्ति इंजीनियरी का सामान्य सिद्धांत।
2. जल प्रणाली बहाव - वर्णन, ऊर्जा एवं संवेग का सिद्धांत समरूप, अनुक्रमिक की द्रुतगम परिवर्तित बहाव, नदीय प्रवाह के अवयव, तलछट परिवहन।
3. द्रव-संरचना का रूपांकन :- बाह्य का रूपांकन, वीयर, बराज, नहर और नहर संरचना व पल्स, क्रॉस जल निकास कार्य, क्रॉस रेगुलेटर, हेड रेगुलेटर, हैड रेगुलेटर और नहर-निकासी, टटर्क का रूपांकन और जल विद्युत शक्ति यंत्र।

4. परिवहन इंजीनियरींग - उच्चपथों का ज्यामितीय रूपांकन, यातायात इंजी० के अवयव, उच्च पक्षीय सामग्री, उच्च पथों का अनुरक्षण।

सेतु इंजी० के अवयव, आई०आर०सी० वर्गीकरण, भार और उपरी संरचना रूपांकन में इसका व्यवहार।

5. लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण -

1. जलापूर्ति-जनसंख्या पूर्वानुमान, जलापूर्ति हेतु उपयोग में लाये जानेवाली पाइपों के प्रकार, द्युव वेल और डग वेल की बनावट, स्लो सैण्ड फिल्टर तथा रैपिड ग्रेविटी फिल्टर का रूपांकन, भूमिगत और ऊपरी-टकी का रूपांकन, जलापूर्ति बांध निर्माण के ब्योरे।

2. जल निकास एवं स्वच्छता-सतही जल निकास झंझावत, जल निकास और मत-जल प्रवा द्विवर्लिंग फिल्टर का रूपांकन सैप्टिक टैंक का रूपांकन, ईम्हॉफ टैंक का व्यांकन, स्वास्थ्य संयंत्रों के ब्योरे।

यांत्रिक अभियंत्रण

पत्र-5

1. उष्मागतिकी (थर्मोडायनेमिक्स) - नियम, आदर्श गैसों और वाष्पों के गुणधर्म, शक्ति चक्र, गैस शक्ति चक्र, गैस टरबाइन चक्र, ईंधन और दहन।
2. अन्तर्दहन इंजिन - सी०आई०और एस० आई०इंजिन डिटेनेशन, ईंधन इन्जेक्सन और कारबुरेशन, निष्पादन और जाँच, टरबो जैट और टरबो-प्रॉप इंजिन, रॉकेट इंजिन, नाभिकीय शक्ति संयंत्रों का प्रारंभिक अध्ययन और नाभिकीय ईंधन।
3. स्टीम बॉयलर - इंजिन नोजेल और स्टिम टरबाइन, मॉडर्न बॉयलर, स्टीम टरबाइन के प्रकार, नोजेल के द्वारा भाप का बहाव, आवेग और प्रतिक्रिया टरबाइन का गति आदि कार्य क्षमता और नियंत्रण।
4. सम्पीडक गैस, गति विज्ञान और गैस टरबाइन, प्रत्यागामी, अभिकेन्द्रीय और अक्षीय बहाव सम्पीडक, गति आलेख, मैक नम्बर का बहाव पर कार्यक्षमता और निष्पादन प्रभाव समऐन्ट्रमिक बहाव, लम्बवत् झटका और नोजेल से बहाव, बहु चरणीय संपीडन (पुनर्तापन एवं पुनयत्यादन के साथ गैर टरबाइन चक्र)
5. उष्मा स्थानान्तरण, प्रशीतन और वातानुकूलन, चालन, संवहन और विकिरण उष्मा विनिययित्र, प्रकार कुल उष्मा अन्तरण गुणांक पर संयुक्त उष्मा-अन्तरण, प्रशीतन और हैण्ड पम्प औबेलिज, प्रशीतन पद्धति, निष्पादन गुणांक का पेयक्रोमेट्रिक और पेयक्रोमेट्रिक चार्ट पर अध्ययन, कॉबपोर्ट इनडियस, शीतलन और डिहिसुमिडिफिकेशन विधि।
6. द्रवों के गुण एवं वर्गीकरण - द्रव स्थैतिकी भौतिकी और शुद्धगति की सिद्धांत और उपयोग वायुदाव भाप एवं उत्पलावन, आदर्श द्रव का प्रवाह, स्तरीय और विप्लव प्रवाह सीमा स्तर सिद्धांत, डुबे हुए वस्तु के ऊपर प्रवाह पाइप तथा खुलाचैनल से प्रवाह, विमीय संरचना और सादृश्य तकनीक।

अबिसीय विशिष्ट वेग और सामान्य द्रव यांत्रिकी का वर्गीकरण ऊर्जा स्थानांत संबंध, पम्प और आवेग एवं प्रतिक्रिया जलटर्बाइन का कार्य निष्पादन एवं प्रजलीय शक्ति संचरण।

7. यांत्रिकी के सिद्धांत - वेग और त्वरण (1). गतिशील वस्तु का (2). मैकेनिकल विलन वनावट, मशीन में जड़त्व बल कैम्प गियर और गियरिंग, फ्लाई व्हील और गवर्नर्स छूते हुए तथा प्रत्यागामी पिंखडों का संतुलन, पद्धतियों का स्वतंत्र और प्रणोदित घर्षण क्रान्तिक चाल और सापट का घुमाव।
8. मशीन रूपांकन - जोड़ थ्रेडल पास्टनर और शक्ति पेच-चाबी, कोटर, गुमूमन-चेल्डेट जौ, ट्रान्समिशन सिस्टम, बेल्ट और चेन ड्राइसेज-वायर रीपर्स, सापट गियर-वाइडिंग और रोलिंग विरिंक।
9. द्रव्य सामर्थ्य 9 - द्विविमीय प्रतिबल और विकृति, मोर का वृत्त, प्रत्यास्थता स्थिरांकी के बीच संबंध।
धरण-वंकन आघूर्ण अपरूपण बल और विक्षेप साछूट, संयुक्त बंकन, प्रत्यक्ष और मरोड़ी (टस्निल) प्रतिबल, मोटी दिवाल वाला बेलन और गोलों का दाब विश्लेषण, स्प्रिंग और स्तंभ (कॉलम), क्षय के सिद्धांत।
10. इन्जीनियरिंग सामग्री - मिश्रधातु और मिश्रधातु की सामग्री, उच्चा संतुलन, संघटन, गुण और उपयोग, सुधव्य और दूसरी अन्य इन्जीनियरिंग सामग्री।
11. उत्पादन इन्जीनियरिंग - धातु मशीनिंग, कर्तन औजार, कर्तन सामग्री, मीटर और मेकेनेबिलिटी मेजरमेंट ऑफ कटिंग प्रोलेस, प्रक्रिया, मशीनिंग-ग्राइन्डिंग, ड्रीलिंग उत्पादन (निर्माण), धातु निर्माण, धातु ढलाई और जोड़, डालिस विशेष उद्देश्य, प्रयोग और अंक-नियंत्रित मशीनी औजार, जित और जुड़ी हुई वस्तु।
12. औद्योगिक इन्जीनियरिंग - कार्य अध्ययन और कार्य माप, मजदूरी प्रेरक, उत्पादन पद्धति व उत्पादन लागत, प्लान्ट के सिद्धांत, उत्पादन योजना और नियंत्रण, सामग्री, उपयोग संचालन शोध, लिनियर प्रोग्रामिंग प्लेनिंग, सिद्धांत मूल्य इन्जीनियरिंग, यंत्र-विश्लेषण सी०पी०एम० आर० पी०ई०आर०टी०, कम्प्यूटर का उपयोग।

विद्युत इन्जीनियरिंग

पत्र-5

1. विद्युत परिपथ - नेटवर्क सिद्धांत रैंप रोकने में नेटवर्क प्रतिक्रिया, आवेग और ज्यामती निवेश, आवृत्ति प्रभाव क्षेत्र विश्लेषण, नेटवर्क संयोजन के द्विभाग नेटवर्क अवयव, एकल आलेख।
2. ई०एम० सिद्धांत - इलेक्ट्रो मैग्नेटिक थ्योरी-गेवअर विधि से स्थिर विद्युतिकी और मैग्नेटोस्टैटिक्स का अध्ययन, डाई-इलेक्ट्रिक सुचालक और चुंबकीय-सामग्री में क्षेत्र का अध्ययन, समय परिवर्ती क्षेत्र, मैक्सवेल का समीकरण, सुचालक और डाई-इलेक्ट्रिक माध्यम में समतल तरंग का संचरण, संचरण नाईन के गुण।
3. द्रव्य विज्ञान (इलेक्ट्रिक द्रव्य सामग्री) - बैण्ड सिद्धांत, स्थैतिक और प्रत्यावर्ती क्षेत्र डाई इलेक्ट्रिक की अनुग्रिवा, पाइजीत विद्युत धातुओं की चालकता, अति चालकता द्रव्यों के चुम्बकीय गुण, पैरो और पैरी-चुम्बकत्व, सेमीकन्डक्टर में चालन, हॉल-प्रभाव।
4. विद्युत मापन - मापन के सिद्धांत, परिपथ पारामीटर का ड्रिज मापन, मापन यंत्रण, बी०आई०बी०ए० और सी०बी०ओ० मोटर वर्णपट विश्लेषण ट्रान्सड्यूसर और गैर विद्युतीय वस्तुओं का मापन, आंकिक मापन, टेलीमीटरिंग, डाटा रिकॉडिंग और डिस्पले।
5. आकलन के अवयव - डिजिटल पद्धति अलजेरिथमस, प्रवाह सारणीकरण (फ्लोभारस्टींग) संग्रहण (स्टोरेज), टाइप स्टेटमेंट-व्यवस्थित संघयन, गणितीय अभिव्यंजन, तार्किक अभिव्यंजन, आकंटन विवरण, प्रोग्राम संरचना, वैज्ञानिक और इन्जीनियरिंग उपयोग।

160 (2) 35 (2) 116

14

प्रधान सचिव

P.H.E.D

पत्र-6

6. शक्ति उपकरण एवं पद्धति - विद्युत यांत्रिकी, वैद्युत यांत्रिक ऊर्जा के परिवर्तन का सिद्धांत, डी०सी० सिन्क्रोमस और ग्रेसम मशीन का विश्लेषण बिनांक आपशिक्त मीटर, नियंत्रण-प्रणाली में मशीन, ट्रान्सफॉर्मर चुंबकीय परिपथ और ड्राइम्स पावर सिस्टम के लिए मोटर का चुनाव विद्युत उत्पादन जल तथा नाभकीय विद्युत का संचरण कोरोमा बुण्डल चालक, विद्युति सुरक्षा, आर्थिक प्रचालन भार-आवृत्ति नियंत्रण, स्थायित्व विश्लेषण।
7. नियंत्रण पद्धति - खुला-लूप और बंद-लूप पद्धति, प्रतिक्रिया विश्लेषण रूट लेवल तकनीक, स्थायित्व, क्षतिपूर्ति और रूपांकन तकनीक, स्टेट मेरीएबुल एप्रोच।
8. इलेक्ट्रॉनिक तथा संचार - इलेक्ट्रॉनिक-धन अवस्था (सॉलिड स्टेट) उपकरण और परिपथ बुलीयन बीजगणित, लॉजिक परिपथ संभोजी और अनुक्रमिक संख्यात्मक परिपथ, संचार संकेत विश्लेषण, संकेत का प्रसारण, माडुलेशन अनुसंधान, संचार पद्धति के विभिन्न प्रकार संचार पद्धति के कार्य।

निरसन एवं व्यावृत्ति

- (1) बिहार अभियंत्रण सेवा वर्ग- II भर्ती नियमावली अधिसूचना संख्या-6208 (एस०) दिनांक 13.09.89 और समय-समय पर संशोधित निरसित की जाती है।
- (2) ऐसे निरसन के होते हुये भी उक्त नियमावली के अधीन किया गया कोई कार्य अथवा की गई कोई कार्रवाई इस नियमावली की अधीन किया अथवा की गई मानी जायेगी मानो यह उस दिन प्रवृत्त थी, जिस दिन वैसा कोई कार्य अथवा कार्रवाई की गई थी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से।

(विनय कुमार)

सचिव

ज्ञापांक- प्र०2/स्था०-नियुक्ति-01-01/2018

3041(5)

पटना, दिनांक 06/3/19

प्रतिलिपि:- महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/ वित्त (वै०दी०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को दो अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्याधी प्रेषित।

(विनय कुमार)

सचिव

ज्ञापांक- प्र०2/स्था०-नियुक्ति-01-01/2018

3041(5)

पटना, दिनांक 06/3/19

प्रतिलिपि:- प्रभारी पदाधिकारी, ई- गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को दो हार्ड कॉपी एवं सी०डी० के साथ बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ प्रेषित। (द्वारा आई०टी० प्रेस, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना)।

(विनय कुमार)

सचिव

159 (1) 15 (34)

ज्ञापांक- प्र०2/स्था०-नियुक्ति-01-01/2018

3041(5)

पटना, दिनांक 06/3/19

प्रतिलिपि:- सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार, पटना/अध्यक्ष, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, पटना/विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग/सभी मुख्य अभियंता/सभी अधीक्षण अभियंता, पथ निर्माण विभाग/निदेशक, प्रशिक्षण, परीक्षण एवं शोध संस्थान, पटना/लोकायुक्त के सचिव, बिहार, पटना/मुख्यालय स्थित सभी राजपत्रित पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(विनय कुमार)

सचिव

ज्ञापांक- प्र०2/स्था०-नियुक्ति-01-01/2018

3041(5)

पटना, दिनांक 06/3/19

प्रतिलिपि:- प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/मुख्य सचिव, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव/माननीय मंत्री, पथ निर्माण विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(विनय कुमार)

सचिव

ज्ञापांक- प्र०2/स्था०-नियुक्ति-01-01/2018

3041(5)

पटना, दिनांक 06/3/19

प्रतिलिपि:- अधीक्षण अभियंता (अनुश्रवण)/आई०टी० मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाइट पर प्रचारित करने हेतु प्रेषित।

(विनय कुमार)

सचिव

AM
6/3